ग्राहकों को पैसा न लौटाने वाले तीन बिल्डरों के खिलाफ रेरा ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना: ग्राहकों को राशि न लौटाने वाले तीन बिल्डरों के विरुद्ध बिहार रेरा ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इनमें घर लक्ष्मी बिल्डकान, आदित्य यूनिक कंस्ट्रक्शन और पाटलीग्राम बिल्डर्स शामिल हैं।

बिहार रेरा के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह की अदालत ने इन बिल्डरों के विरुद्ध दायर वाद मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। यह आदेश बिल्डरों से लगभग 21 लाख रुपये की राशि वसूली के लिए दिया गया है, जिसे तीन पीड़ित घर खरीदारों को भुगतान किया जाना है।

बिहार रेरा के अनुसार, गोपाल स्वरूप रवि ने घर लक्ष्मी बिल्डकान के खिलाफ 3.5 लाख रुपये की वापसी के लिए मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने पहले

घर लक्ष्मी बिल्डकान, आदित्य यूनिक कंस्ट्रक्शन और पाटलीग्राम बिल्डर्स के विरुद्ध जारी किया गया आदेश

प्राधिकरण में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसका निपटारा मार्च 2023 में उक्त राशि की वापसी के आदेश के साथ किया गया था। जब बिल्डर ने प्राधिकरण के आदेश का सम्मान नहीं किया, तो शिकायतकर्ता ने जनवरी 2024 में इजराय वाद दायर किया। इसी तरह आदित्य यूनिक कंस्ट्रक्शन के मामले में सुरेश नारायण सिंह नामक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी। प्राधिकरण ने शिकायत पर 10 लाख रुपये की वापसी के आदेश के साथ जनवरी 2024 में मामले का निपटारा कर दिया था, मगर बिल्डर के द्वारा आदेश का सम्मान न करने पर जून, 2024 में इजराय वाद दायर किया गया था।

तीसरा मामला पाटलीग्राम बिल्डर्स से संबंधित है, जिसके खिलाफ दिनेश कुमार ने मामला दर्ज कराया था। प्राधिकरण ने 7.84 लाख रुपये की वापसी के लिए अगस्त 2023 में उनकी शिकायत का निपटारा कर दिया था, लेकिन प्रमोटर द्वारा आदेश का सम्मान करने में विफल रहने पर सितंबर 2024 में इजराय वाद दायर किया गया।